राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( ) स्वयंसिद्धा आश्रम /सा0सु0/सान्याअवि/2024–25/ 29505 जयपुर, दिनांकः 07/02/2025

'स्वयंसिद्धा आश्रम' संचालन दिशा–निर्देश, 2025'

राजस्थान सरकार द्वारा वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन करने हेतु स्वयंसिद्धा आश्रम संचालन दिशा–निर्देश 2025 बनाती हैं। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर एक स्वयंसिद्धा आश्रम स्थापित किये जायेंगे जिसके परिसर में वृद्धाश्रम, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, नारी निकेतन, विमंदित गृह इत्यादि गृह संचालित किये जायेंगे।

1. संक्षिप्त नाम व प्रभावित क्षेत्रः–

1.1. ये दिशा–निर्देश स्वयंसिद्धा आश्रम योजना संचालन दिशा–निर्देश 2025 कहलायेगें।

1.2. ये दिशा–निर्देश राज्य में जारी किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएंः–

2.1. **"विभाग"** से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।

2.2. **"अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव"** से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।

2.3. **"आयुक्त/निदेशक"** से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।

2.4. **"जिलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

2.5. **"प्रभारी अधिकारी"** प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य मुख्यालय स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

2.6. **"वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक"** से तात्पर्य वरिष्ठ नागरिक पुरूष 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का एवं महिला 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की हो।

2.7. **"असहाय/निराश्रित"** व्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे पुरूष/महिला से है जो किसी प्रकार के आश्रय, सहारा या सहायता से वंचित हो/ संतानहीन है/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित है/जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है/जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

2.8. **"स्वयंसिद्धा आश्रम"** से तात्पर्य ऐस आश्रम से है जिसमें वृद्ध एवं असहाय /निराश्रित" व्यक्ति निवास करते है।

3. योजना का उद्येश्यः–

योजना का उद्येश्य सभी वर्गों के वृद्ध, असहाय नागरिक, [illegible] मानसिक विमंदित आदि को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिये [illegible] में आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा–स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, मनो[illegible] विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा [illegible] की सुविधाऐं प्रदान किया जाना है।

Signature valid
Digitally signed by [illegible]mesh Kumar Agarwal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 [illegible]:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

Scanned with CamScanner

4. **स्वयंसिद्धा आश्रम का संचालन :–** स्वयंसिद्धा आश्रम का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राजकीय भवनों/किराये के भवनों में संभाग स्तर पर किया जायेगा। निःशुल्क संचालन किये जाने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। राजकीय भवन निर्मित/उपलब्ध होने तक आश्रम का संचालन किराये के भवनों में किये जायेंगे।

5. **मॉनीटरिंग एवं स्वयंसेवी संस्था का चयन :**

5.1. स्वयंसिद्धा आश्रम संचालन करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव E.O.I. निदेशालय स्तर से आमन्त्रित किये जायेगें।

5.2. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ 1) में जिलाधिकारी, सान्याअवि को आवेदन करेगा।

5.3. जिलाधिकारी, सान्याअवि द्वारा की गई जांच के आधार पर ''राजस्थान वृद्धाश्रम संचालन योजना 2013'' के बिन्दु संख्या 20 में गठित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्था का अंतिम चयन कर प्रस्ताव अभिशंषा सहित निदेशालय को भिजवाया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव का आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जायेगें।

5.4. स्वयंसिद्धा आश्रम के अतिरिक्त वृद्धाश्रम, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, नारी निकेतन, विमंदित गृह इत्यादि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप संचालित किये जायेंगे।

6. **स्वंयसेवी संस्थाओं की पात्रता :–** स्वयंसिद्धा आश्रम संचालन के लिये स्वंयसेवी संस्थाओं/संगठनों की पात्रता निम्नानुसार रहेगीः–

6.1. स्वंयसेवी संस्था/संगठन जो सोसायटी एक्ट/ट्रस्ट (न्यास) एक्ट/कम्पनी एक्ट में पंजीकृत हों तथा पिछले तीन वर्षो का 25.00 लाख रूपये का औसत वार्षिक टर्नओवर हो।

6.2. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का वृद्धजन/असहाय वर्गो के कल्याण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।

6.3. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन हो।

6.4. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक होगा।

6.5. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का ऑडिट स्टेटमेन्ट (प्राप्ति व भुगतान, आय–व्यय स्टेटमेन्ट)

6.6. स्वंयसेवी संस्था/संगठन को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड अन्यथा डिफाल्टर नही करने संबंधित घोषणा पत्र आवश्यक है।

6.7. उपरोक्त आश्रम में वृद्व एवं असहाय आवासी पुरूषों व महिलाओं को अलग–अलग विंग में रखा जावेगा।

7. **स्वयंसिद्धा आश्रम में प्रवेश की पात्रता :–**

7.1. किसी भी राज्य के पात्र वृद्ध/असहाय व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकेगा।

7.2. वृद्ध पुरूष की आयु 58 वर्ष एवं महिला की उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो तथा कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ हो।

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

7.3. ''असहाय/निराश्रित'' पुरूष/महिला जो किसी प्रकार के आश्रय, सहारा या सहायता से वंचित हो/ संतानहीन है/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित है/जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है/जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

7.4. वृद्ध पुरूष/महिला संतानहीन हो/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो।

7.5. वृद्ध पुरूष/महिला आजीविका चलाने में असमर्थ हो।

7.6. व्यक्ति जिसका कोई घर/आश्रय न हो और ना ही वह किराये पर घर लेने की क्षमता रखता हो।

7.7. आश्रम में वृद्धजन एवं असहाय व्यक्ति जो स्वयं रहने के इच्छुक हो, पात्र होंगे।

7.8. बूढ़े, बीमार, परित्यक्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

7.9. केन्द्रीय/राज्य बी.पी.एल. सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

7.10. आश्रम में प्रवेश जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/जिलाधिकारी सान्याअवि की सहमति उपरांत प्रवेश दिया जावेगा। प्रवेश हेतु जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जावेगा।

8. स्वयंसिद्धा आश्रम संचालन की शर्तें :–

8.1. स्वयंसिद्धा आश्रमों का संचालन प्रत्येक संभाग स्तर पर कम से कम एक आश्रम की स्थापना की जायेगी जो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होंगे।

8.2. स्वयंसिद्धा आश्रमों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं से मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिग (MOU) उपरान्त किया जायेगा। निदेशालय द्वारा आश्रम संचालन की स्वीकृती जारी करने के उपरान्त मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिग (MOU) स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिलाधिकारी के मध्य किया जायेगा। मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिग (MOU) का प्रतिवर्ष 30 अप्रेल अथवा एम.ओ.यू. समाप्ति दिनांक तक नवीनीकरण करवा जाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए जिलाधिकारी स्वयंसेवी संस्था के निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा सहित निदेशालय, सान्याअवि, राज0 जयपुर को 30 दिन पूर्व आवेदन प्रेषित करना होगा।

8.3. स्वयं सेवी संस्थाओं को 50 आवासियों (पुरूष व महिला) की स्वीकृति दी जायेगी। आश्रम में 50 आवासी प्रवेशित नहीं होने पर स्वीकृत क्षमता कम करने का अधिकार आयुक्त/निदेशक सान्याअवि को होगा।

8.4. वृद्ध/असहाय जो घरेलू हिंसा का शिकार या अन्य ऐसी ही समस्याओं को झेल रहे हो अथवा मानसिक विमंदित की मदद के विशेष उपाय किए जाएँगे।

8.4.1. संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार का संरक्षण तथा शोषण से सुरक्षा।

8.4.2. हिंसा करने वालों से रक्षा और हिंसा होने पर केस दर्ज करने कानूनी मदद सुनिश्चित करके न्याय दिलाना।

8.4.3. जरूरत के आधार पर सभी तरह की मदद के लिए वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट मंच का गठन।

8.5. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वर्ष में दो बार आवासियों को धार्मिक स्थल का भ्रमण करवाना अनिवार्य होगा।

8.6. स्वयं सेवी संस्था द्वारा आवासियो को प्रतिमाह आवश्यक रूप से राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त उपचार की व्यवस्था की जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

8.7. स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवासियों को आवश्यकतानुसार दॉत, चश्मा, बेंत, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

8.8. आश्रमों में रहने वाले आवासियों की प्रतिमाह एक बैठक कराई जायेगी, जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार कर उनका निवारण किया जायेगा। बैठक में जिला कलक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो कि नायब तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जावेगा।

9. स्वयंसिद्धा आश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं की सम्बंध में :–

9.1. प्रत्येक आवासी को मैन्यू के अनुसार प्रातः नाश्ता, दोपहर का भोजन, सांयकालीन अल्पाहार (Refreshment) एवं रात्रि भोजन तथा मौसमी फल उपलब्ध करवाये जायेंगे।

आवासी को निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान की जावेगी :–

1. बिस्तर

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	तौलिया	प्रति वर्ष 2
2	सूती चादर	प्रति वर्ष 2
3	तकिया (रूई भरे हुए)	2 वर्ष में 2
4	तकिये का कवर	2 वर्ष में 4
5	ऊनी कंबल	2 वर्ष में 2
6	सूती दरी	2 वर्ष में 2
7	गद्दा	2 वर्ष में 1

2. महिला आवासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	सलवार सूट या ब्लाउज और पेटिकोट सहित साड़ी	प्रति वर्ष 4 सेट
2	ब्रैजीअर	प्रति वर्ष 4
3	पैंटी	प्रति वर्ष 8
4	सैनिटरी तौलिया	प्रति वर्ष 12 पैक
5	ऊनी शॉल	2 वर्ष में 2
6	ऊनी स्वेटर	2 वर्ष में 1
7	दुपट्टा/आधी साड़ी	प्रति वर्ष 2

3. पुरूष आवासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	कमीज	प्रति वर्ष 4 सेट
2	पैंट	प्रति वर्ष 4 सेट
3	बनियान	प्रति वर्ष 4 सेट
4	अण्डरवियर	प्रति वर्ष 4 सेट
5	ऊनी जर्सी	2 वर्ष में 2

4. विविध वस्तुएं

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	चप्पल	प्रति वर्ष 1 जोड़ी
2	जूते	प्रति वर्ष 1 जोड़ी

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.02.07 16.52.15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

3.	मौजे	प्रति वर्ष 3 जोड़ी

5. प्रसाधन सामग्री

क्र.सं.	वस्तु	प्रति आवासी प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	बालों में लगाने का तेल	प्रति माह 200 मिली लीटर
2	नहाने का साबुन	प्रति माह 2 बड़ी बार
3	टूथ पेस्ट और ब्रश	प्रति 1 माह 1 ब्रश, प्रति माह 80 ग्राम पेस्ट
4	कंघा	प्रति वर्ष 2
5	कपड़े धोने का साबुन	प्रति माह 2 साबुन 125 ग्राम

9.2. समस्त आवासी अपने कपड़े स्वयं ही धोयेंगे।।

9.3. प्रत्येक आवासी की माह में एक बार बाल कटिंग कराई जायेगी।

9.4. प्रत्येक आवासी की बैडशीट प्रत्येक 15 दिवस में स्वयंसेवी संस्था द्वारा धुलवाई जायेगी।

10. स्वयंसिद्धा आश्रम में भोजन व मंनोरजन की उपलब्धता के सम्बंध में

1. आवासियों को प्रातः 7.00 बजे से 8.00 बजे तक नाश्ता दिया जायेगा।
2. आवासियों को दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक दोपहर का भोजन दिया जायेगा।
3. आवासियों को सायंकाल 4.00 बजे से 4.30 बजे तक चाय व अल्पाहार दिया जायेगा।
4. आवासियों को रात्रिकालीन भोजन 6.30 बजे से 8.00 बजे तक दिया जायेगा,
5. आवासियों को प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार को स्पेशल डाईट दी जायेगी। जिसमें खीर/हलवा/स्थानीय व्यंजन को शामिल किया जायेगा।
6. बीमार आवासियों के लिए चिकित्सक की सलाह के अनुरूप भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

असहाय/निराश्रित आवासियों के लिए निर्धारित भोजन व नाश्ता मेन्यू

क्र.सं.	वार	सुबह का नाश्ता	सुबह का खाना	रात्रि भोजन
1.	सोमवार	पोहे, दूध	चपाती, दाल, दही	चपाती, सब्जी, सलाद
2.	मंगलवार	अंकुरित चने/मूंग/मोठ, दूध	चपाती, दाल, रायता	चपाती, हरी सब्जी, फल
3.	बुधवार	पोहे, दूध	चपाती, चावल, राजमा, छाछ	चपाती, सब्जी, सलाद
4.	गुरूवार	मीठा दलिया, दूध	चपाती, दाल, कड़ी	चपाती, मौसमी सब्जी, फल
5.	शुक्रवार	नमकीन दलिया, दूध	चपाती, दाल, दही	चपाती, सब्जी, सलाद
6.	शनिवार	बिस्कुट, पोहे व दूध	चपाती, दाल, छाछ	चपाती, सब्जी, फल
7.	रविवार	पोहे, दूध	विशेष भोजन	चपाती, सब्जी, सलाद

विशेष भोजन

क्र.सं.	वार	मेन्यू
1.	प्रथम रविवार	चावल, पूड़ी/चपाती, छोले की सब्जी, मीठा
2.	द्वितीय रविवार	खीर, पूड़ी/चपाती, सब्जी, सलाद
3.	तृतीय रविवार	चूरमा–बाटी, दाल
4.	चतुर्थ रविवार	खीर, पूड़ी/चपाती, सब्जी, हलवा
5.	पंचम रविवार	गेहूं के आटे का हलवा, पूड़ी/चपाती, सब्जी

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

वृद्धजन आवासियों के लिए निर्धारित भोजन व नाश्ता मेन्यू

क्र.सं.	वार	सुबह का नाश्ता	दोपहर का खाना	शाम का नाश्ता	रात्रि भोजन
1.	सोमवार	मूंग दाल का चीला + पुदीना चटनी + गुनगुना दूध।	रोटी + मूंग दाल + भिंडी की सब्जी + सलाद + चावल + पापड़।	मखाना भुना हुआ।	रोटी + टमाटर की सब्जी + लौकी का रायता + मूंग दाल।
2.	मंगलवार	उपमा (हरी सब्जियों के साथ) + नारियल चटनी + ताजे फल (जैसे केला)+ गुनगुना दूध। ।	बाजरे की रोटी + पालक पनीर + कद्दू का रायता + चावल + पापड़।	फल (सेब/केला/पपीता)।	दलिया (नमकीन या मीठा) + दही।
3.	बुधवार	ओट्स दलिया + बादाम और किशमिश+ गुनगुना दूध।	चावल + अरहर की दाल + आलू–गोभी की सब्जी + छाछ।	मूंगफली चाट।	वेजिटेबल सूप + रोटी + दाल + सब्जी (सीजन अनुसार)।
4.	गुरूवार	आलू पराठा (कम तेल में बना) + दही।	मल्टीग्रेन रोटी + मिक्स वेज (हरी सब्जियाँ) + हरी चटनी + चावल + पापड़।	अदरक वाली चाय + खाखरा।	उपमा + नारियल चटनी + रोटी + दाल ।
5.	शुक्रवार	पोहा (मूंगफली और सब्जियों के साथ) + अदरक वाली चाय।	खिचड़ी (मूंग दाल और सब्जियों से बनी) + पापड़ + अचार।	अंकुरित चने और मूंग।	पराठा (सादा) + दाल का शोरबा।
6.	शनिवार	ब्रेड टोस्ट (गेहूं का) + पोहा + हर्बल चाय।	रोटी + लौकी की सब्जी + दही + चावल + पापड़।	नारियल पानी।	खिचड़ी (हल्की) + पुदीना चटनी + रोटी + सब्जी ।
7.	रविवार	साबूदाना खिचड़ी + ताजे नारियल की चटनी + गुनगुना दूध। ।	रोटी + राजमा चावल + प्याज और टमाटर का सलाद।	ओट्स कुकीज़।	रोटी + दाल + टिंडे की सब्जी + पपीता।

11. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं:–

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बूर्जुग देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासियों को नि:शुल्क, विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करना।
2. आवासियों के लिए निकटतम जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्धता स्थापित कर गंभीर बीमारी की स्थिति में रोगी वाहन की सुविधा तथा राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में जिला उपापन समिति के सहयोग से औषधियॉ उपलब्ध करवाना।
3. आवासियों के लिये नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन
   (क) वजन मशीन, बी.पी. मशीन, मधुमेह जांच मशीन आदि
   (ख) प्राथमिक चिकित्सा किट।
   (ग) निवासियों को दी जाने वाली दवाओं का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिस स्टॉक में मौजूद दवाओं की समाप्ति तिथियां दर्ज होगी।
   (घ) स्टाफ द्वारा दवा की दैनिक निगरानी।

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

(ड़) आवासियों के लिए प्रति माह चिकित्सक का विजिट करवाना तथा मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोचिकित्सक/काउन्सलर का नियमित विजिट करवाना।

12. मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियां:–

1. आवासियों के लिए एक कॉमन रूम में टेलिवीजन लगाया जावेगा, जिसमें आवासियों को धार्मिक/ज्ञानवर्धक/सामाजिक कार्यक्रम प्रदर्शित किये जावेगें।
2. आवासियों के लिए विविध प्रकार की आकर्षक गतिविधियां
   (क) पुस्तकें/समाचार पत्र
   (ख) टी.वी. रेडियो आदि
   (ग) दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे बागवानी, गायन आदि।
   (घ) योगा शिक्षक द्वारा आवासियों को योगा, ध्यान आदि।
3. सामाजिक जनभागिता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के अवसर–
   (क) वार्ता मंच–ऑनलाइन/ऑफलाइन
   (ख) वाद–विवाद
   (ग) संस्थानों की सहभागिता (स्कूल/कॉलेज)
4. संज्ञानात्मक समस्याओं वाले निवासियों के लिये अनुकूलित गतिविधियॉ–
   (क) संगीत/कला/रंग/आध्यात्मिक चिकित्सा
   (ख) पहेली खेल
   (ग) संज्ञानात्मक ऐप्स
5. व्यावसाविक कौशल–
   (क) बागवानी।
   (ख) वृद्धाश्रम स्थल पर सुक्ष्म व्यावसाविक गतिविधियॉ।
   (ग) मांग के अनुसार कोई अन्य कौशल।

13. सुरक्षा और संरक्षण–

(क) निगरानी कैमरे और महत्वपूर्ण घटना रिकॉर्डिंग कम से कम 10 दिन के लिए समीक्षा के लिए उपलब्ध हो।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिये सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक वृद्धजनों को उनकी सुगमता एवं आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वायरलेस डोरबेल की सुविधा।

(घ) कम से कम पॉच व्हीलचेयर अच्छी तरह से काम करने की स्थिति में उपलब्ध करायें।

14. स्वयंसिद्धा आश्रम का निरीक्षण :–

1. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार स्वयंसिद्धा आश्रम का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
2. निदेशालय स्तर से स्वयंसिद्धा आश्रम योजना के प्रभारी अधिकारी/अधिकृत निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम एक बार प्रत्येक स्वयंसिद्धा आश्रम का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Radhanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

3. निदेशालय के निदेशक/आयुक्त दौरे पर हो तो आश्रम का निरीक्षण यथासम्भव अवश्य करें।
4. जिला स्तर पर आश्रम के प्रभावी मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय समन्वय समिति निम्नानुसार है :–

1.	जिला मजिस्ट्रेट	–	पदेन अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद	–	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य
5.	आयुक्त/सचिव नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका	–	सदस्य
6.	जिला मजिस्ट्रट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति, सदस्य जो वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ और सक्रिय हो	–	सदस्य
7.	जिलाधिकारी, सान्याअवि	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जावेगी।

15. स्वयंसिद्धा आश्रम पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड :–

1. आश्रम में आवासी व्यक्तियों की उपस्थिति पंजिका।
2. आश्रम में आवासियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति।
3. आश्रम में क्रय किये गये सामान के लिए स्थाई व अस्थाई स्टॉक पंजिका संधारित की जायेगी।
4. आश्रम में आवासियो को वितरित किये जाने वाली सामग्री हेतु सामग्री वितरण पंजिका का संधारण किया जायेगा।
5. भ्रमण पंजिका।
6. कैश–बुक।
7. राशन पंजिका
8. वेतन/एफ.वी.सी. बिल फाईल
9. स्टॉक रजिस्टर।
10. स्टॉफ उपस्थिति पंजिका।
11. बैंक खाते की पास–बुक।
12. नाश्ता पंजिका/भोजन पंजिका।
13. आवक–जावक पंजिका ।
14. सामान्य पत्राचार की पत्रावली (निदेशालय, जिला कलक्टर, जिलाधिकारी व अन्य विभागों से पत्राचार की पत्रावली)
15. विभाग को भेजे जाने वाले मानचित्रों, पत्रों व विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों की पत्रावली।
16. स्वास्थ्य पंजिका, जिसमें चिकित्सक द्वारा आश्रम के सदस्यों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर औषधि उपलब्ध करवाये जाने से संबंधित विवरण हो।
17. आवासियों की व्यक्तिगत प्रवेश संबंधी पत्रावली।
18. कार्यरत कार्मिकों को किये गये मानदेय की ऑनलाईन भुगतान की पत्रावली ।

Signature valid
Digitally signed by Radhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

16. स्वयंसिद्धा आश्रम हेतु स्टाफ व्यवस्था :–

1. परिसर में स्थित विभिन्न गृहों के संचालन हेतु स्टाफ का एक पूल तैयार किया जाकर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायेगी। स्वयंसिद्धा आश्रम के अतिरिक्त अन्य गृहों में स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।
2. आश्रम के संचालन हेतु एक मैनेजर की नियुक्ति (जो स्नातक योग्यता रखता हो) की जायेगी जो आश्रम को संचालित करेगा।
3. आश्रम के संचालन हेतु एक लिपिक की नियुक्ति (जो 12वीं पास की योग्यता रखता हो) की जायेगी जो आश्रम के रिकार्ड को संचालित करेगा।
4. आश्रम के संचालन हेतु एक लेखाकार की नियुक्ति (जो स्नातक योग्यता रखता हो) की जायेगी जो आश्रम के लेखों सम्बधी कार्य को संचालित करेगा।
5. आश्रम के संचालन हेतु दो केयर टेकरों की नियुक्ति (जो 12वीं पास की योग्यता रखता हो) की जायेगी जो आश्रम व आवासियों की 24X7 के रूप में उचित देखभाल करेंगे।
6. आश्रम के संचालन हेतु न्यूनतम 02 रसोइयों की नियुक्ति की जायेगी, जो आश्रम में रहने वाले आवासियों के लिए भोजन व नाश्ता बनायेगा।
7. आश्रम में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति (जी.एन.एम. योग्यता रखता हो)
8. प्रतिदिन योगा हेतु एक योगा टीचर की नियुक्ति की जायेगी।
9. आश्रम में सुरक्षा के लिए 24X7 चौकीदार की नियुक्ति की जायेगी।
10. आश्रम के संचालन हेतु दो सफाईकर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो आश्रम की साफ–सफाई करेगा।

17. प्रशिक्षण केंद्रः– स्वयंसिद्धा परिसर में विभिन्न गृहों में कार्यरत स्टाफ हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जायेगी। आश्रम में कार्यरत् स्टाफ एवं आवासियों को समय–समय पर केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जावेंगा। प्रशिक्षण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजनान्तर्गत आवश्यक सहयोग लिया जावेगा।

18. स्वयंसेवी संस्था को देय अनुदान दरे एवं बजट प्रावधान :

क्र.सं.	देय सुविधा (Item)	देय राशि (राशि लाखों में)
1.	आवासियों का मैस भत्ता (Food includes Breakfast, lunch, Dinner, Two time tea)	3000 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह
2.	स्वयंसिद्धा आश्रम संचालन हेतु भवन किराया	1.50 लाख रूपये प्रति माह
3.	आवासियों के लिए वस्त्र, प्रशाधन सामग्री, जूते, मौजे एवं चप्पल, आश्रम में पलंग, गद्दे, तकिया मय कवर, खैस, चद्दर, कम्बल, खाने बनाने व खिलाने वाले बर्तन, टी.वी., सीसीटीवी, इन्वर्टर, गीजर, रूम हीटर, दीवार घडी, आपातकालीन अलार्म, अलमारी, कुर्सी टेबल, मनोरंजन यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, इंडोर गैम्स, पंखे, कूलर इत्यादि अनावर्तक सामान कय हेतु 05 वर्ष के लिए।	प्रति आवासी 10,000/– रूपये
4.	आश्रम मैनेजर (Rs. 20000x12)	2,40,000
5	लेखा कार्मिक (Rs. 15000x12)	1,80,000

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

6.	नर्सिंग स्टाफ (Rs. 15000x12)	1,80,000
7.	योगा टीचर (Rs. 15000x12)	1,80,000
8.	लिपिक (Rs. 15000x12)	1,80,000
9.	मल्टी टास्कींग स्टाफ (Rs. 15000x12)	1,80,000
10.	केयर टेकर (Rs. 10000x12x2)	2,40,000
11.	कूक (Rs. 10000x12x2)	2,40,000
12.	सफाईकर्मी (Rs. 8000x12x2)	1,92,000
13.	सुरक्षाकर्मी (Rs. 10000x12x3)	3,60,000

1. निःशुल्क संचालन नहीं करने वाली संस्थाओं को आश्रम संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा।
2. स्वयं सेवी संस्था का चयन राज्य स्तर से किया जायेगा। उसके बाद आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बजट की सीमा के अधीन स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर से जारी की जावेगी।
3. जिलाधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को एकमुश्त देय अनुदान राशि वर्ष में दो बार एवं मैस व्यवस्था हेतु देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. स्वयंसेवी संस्था को भुगतान से पूर्व पिछले भुगतान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र व सी.ए. द्वारा प्रमाणित वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
5. सहायता अनुदान उन परियोजन हेतु देय होगा, जिसकी मान्यता दी हुई है।
6. अनुदान प्राप्ति से पूर्व संस्था द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र 500 रूपये के स्टाम्प पर भर कर दिया जायेगा, संस्था के कार्य बन्द कर देने के कारण या राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष पूर्व मान्यता समाप्त कर देने पर सरकार को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण सामान क्रय हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली की जायेगी तथा अनुपयोगी अनुदान राशि (Unused Grant) को राजकोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की बिना शर्त के पालना की जावेगी।
7. विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं स्वयंसेवी संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध करवानी होगी।
8. स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्वयंसिद्धा आश्रम निरन्तर चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक वर्ष मान्यता का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है।
9. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था अपनी इच्छा से योजना संचालन का कार्य किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित नहीं कर सकती है। स्वयंसेवी संस्था यदि योजना संचालन में असमर्थ है तो उन्हें एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना होगा।
10. स्वयंसिद्धा आश्रम योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों द्वारा बजट आवंटन की कार्यवाही योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

19. दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधानः–

RajKaj Ref No.: 13450148

किसी शिकायत की जॉच करने अथवा आयुक्त/निदेशक के आदेश से निरीक्षणकर्ता अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी स्वयंसिद्धा आश्रम के लिए आवंटित धनराशि के दुरूपयोग होने अथवा अन्य कोई अनियमितता पाई जाती है जिसका तथ्य सिद्व हो जाता है, तो ऐसी स्वयंसेवी संस्था की मान्यता रद्व करने का सकारण लिखित में निदेशक द्वारा आदेश जारी किया जायेगा एवं राशि का गबन भी सिद्व होता है तो स्वयंसेवी संस्था से यह राशि वसूल भी की जायेगी। अगर ऐसी स्वयंसेवी संस्था की राशि बकाया है तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसी दोषी स्वयंसेवी संस्था को भविष्य में कभी भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कोई भी योजना संचालन करने का अवसर प्रदान नही किया जावेगा।

20. नियमों में शिथिलताः–

इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जा सकेगी तथा इसमें परिवर्तन/संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

उक्त दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162500207 दिनांक 05.02.2025 से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( ) स्वयंसिद्धा आश्रम /सा0सु0/सान्याअवि/2024–25/29506-804 जयपुर, दिनांकः 07/02/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव महोदय, सान्याअवि राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राज0जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि, राज0 जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।
11. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ '1'

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

स्वयंसिद्धा आश्रम

आवदेन–प्रपत्र

1 स्वयंसेवी संस्था का नाम .....

2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता (ईमेल सहित).....

3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न0.....

4 क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ट्रस्ट व कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है (संलग्न करें) .....

5 यदि हॉ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक .....

6 संस्था को बेघर, वृद्धजन, एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति के क्षैत्र में कार्य करने का कितने वर्ष का अनुभव है। अनुभव की प्रमाणित प्रति।.....

7 यदि हां तो संस्था द्वारा बेघर, वृद्धजन, एवं असहाय/निराश्रित व्यक्ति के क्षैत्र में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न करें।

8 गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें।

9 गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

10 संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन है/नहीं। (संलग्न करें) .....

11 संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन (संलग्न करें)। हॉ/ नहीं

12 क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है (संलग्न करें)। हॉ/ नहीं

13 संस्था का विभागीय का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन (संलग्न करें)। हॉ/ नहीं

14 यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....

15 क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। हॉ/ नहीं

16 यदि हां तो स्वीकृत अनुदान की गत तीन वर्षवार विवरण दें।

17 क्या संस्था विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हां/नही

18 यदि हो तो तीन वर्ष का विवरण दें।

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148

19 क्या संस्था के पास आश्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है, नहीं तो किरायानामा की फोटो प्रति मय नक्शा .....

20 यदि हां तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

21 अन्य विवरण

अध्यक्ष / सचिव

Signature valid

Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 16:52:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13450148